बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

3605
22/9/2020

संकल्प

विषय :- **ऑगनबाडी सेविका, मिनी ऑगनबाडी सेविका एवं सहायिका को देय राज्य भत्ता क्रमश: 1150/- (एक हजार एक सौ पचास), 900/- (नौ सौ) एवं 575/- (पॉच सौ पचहतर) रूपये में दिनांक 01.04.2021 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमश: 1450/-(एक हजार चार सौ पचास), 1130/- (एक हजार एक सौ तीस) एवं 725/- (सात सौ पचीस) रूपये निर्धारित करने तथा इस पर प्रति वर्ष 60,06,93,600 (साठ करोड छ: लाख तिरानवे हजार छ: सौ) रूपये मात्र के अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।**

ऑगनबाड़ी सेवाएँ योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा कुपोषण से बचाव करना है। इस योजना के कार्यान्वयन से बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार, बच्चों के मृत्यु दर में कमी, बच्चों का मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक विकास किया जाना है।

ऑगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को समेकित रूप से 6 सेवाएँ यथा- पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जॉच, संदर्भ सेवाएँ, प्रतिरक्षीकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। उक्त छ: सेवाओं के कार्यान्वयन का नाभिकीय बिन्दु ऑगनबाड़ी केन्द्र होता है, जिसका संचालन उक्त केन्द्र की ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा किया जाता है। सम्प्रति राज्य के 544 बाल विकास परियोजनाओं में 107603 ऑगनबाड़ी केन्द्र एवं 7115 मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द पर एक ऑगनबाड़ी सेविका एवं एक ऑगनबाड़ी सहायिका का पद स्वीकृत है, जबकि मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र में मात्र एक ऑगनबाड़ी सेविका का ही पद स्वीकृत है।

ऑगनबाड़ी सेवाएँ एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। जिस पर मानदेय मद में होने वाले व्यय का 60 प्रतिशत का वहन भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है साथ ही राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्य भत्ता (विपत्र कोड-51-2235021020327 से शत प्रतिशत) का वहन किया जाता है।

बढ़ती हुई महॅगाई, कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक तंगी के साथ-साथ सम्प्रति कोरोना संक्रमण के दौरान corona warrior के रूप में सेविका/सहायिका द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है। सेविका/सहायिका द्वारा लगातार राज्य भत्ता में वृद्धि किये जाने की मांग को देखते हुए उनके राज्य भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

प्रेम प्रकाश
22-09-2020

एतद् संचिका संख्या- **ICDS/30030/14-2018** पृष्ठ संख्या 43/टि0 पर दिनांक 18.09.2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक में ऑगनबाडी सेविका, मिनी ऑगनबाडी सेविका एवं सहायिका को राज्य भत्ता के रूप में देय राज्य भत्ता क्रमश: 1150/- (एक हजार एक सौ पचास), 900/- (नौ सौ) एवं 575/- (पॉच सौ पचहतर) रूपये में दिनांक 01.04.2021 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमश: 1450/-(एक हजार चार सौ पचास), 1130/- (एक हजार एक सौ तीस) एवं 725/- (सात सौ पचीस) रूपये निर्धारित करने तथा इस पर प्रति वर्ष 60,06,93,600 (साठ करोड छ: लाख तिरानवे हजार छ: सौ) रूपये मात्र के अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर संचिका पृष्ठ-45/टि० पर दिनांक 22.09.2020 को विभागीय आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति/अनुशंसा प्राप्त है।

विश्वासभाजन

22/9/20

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- ICDS/30030/14-2018...3605... दिनांक ...22.9.2020...

प्रतिलिपि : ई-गजट कोषांग,वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सीडी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर उसकी 1000 (एक हजार) प्रति भेजने की कृपा की जाय।

22/9/20

संयुक्त निदेशक (मु0)

समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- ICDS/30030/14-2018...3605... दिनांक ...22.9.2020...

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, आई0सी0डी0एस0/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी /सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/9/20

संयुक्त निदेशक (मु0)

समाज कल्याण विभाग

प्रेम प्रकाश

22-09-2020